न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारी	:–	**मनोज जीनगर, आर.जे.एस.**
नियमित फौजदारी प्र.सं.	:–	627/2024
सी.आई.एस. संख्या	:–	627/2024
सी.एन.आर. संख्या	:–	RJDK020013302024

लादूराम जाट पुत्र धन्नाराम, आयु 59 वर्ष, निवासी ग्राम डिकावास, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान ।

–परिवादी

बनाम

मूलचन्द ठोलिया पुत्र सुरजाराम ठोलिया, आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम ठोलियों की ढाणी किसान नगर ग्राम दौलतपुरा, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितः–
1. परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दानाराम भाटी।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल भाकर।

–: निर्णयः–

दिनांक :– 14.08.2026

(1) प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी लादूराम द्वारा परिवाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी का ननिहाल ग्राम दौलतपुरा में होने व उक्त ननिहाल के पास ही अभियुक्त मूलचन्द के निवास करने से आपस में कई बार मिलने से आपस में सुपरिचित होने से अभियुक्त ने अपने लड़के की

शादी के लिए रूपयों की आवश्यकता बताकर परिवादी से दिनांक 29.12.2019 को 2,00,000/– रूपये नगद उधार लिये जिसका एक रूपयें पच्चास पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह से ब्याज मय मूल राशि बारह माह के भीतर ही अदा करने का वचन दिया एवं इस आशय का अभियुक्त स्वयं ने एक प्रोमेसरी नोट भी दिनांक 29.12.2019 को परिवादी के पक्ष में निष्पादित कर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षरित सुदा परिवादी को सुपुर्द किया। उक्त बकाया रूपये मय ब्याज के बाहर माह व्यतित होने के बाद मांग करने पर अभियुक्त ने व्यवसाय/धन्धा मंदा होने से विवशता जाहिर कर शीघ्र ही अदायगी का वचन दिया, फिर परिवादी द्वारा दिये गये मौखिक आश्वासन पर विश्वास करता रहा तथा अभियुक्त ने अनेको मजबुरियां बताकर आगे से आगे उक्त बकाया रूपयों के अदा करने हेतु समय मांगता रहा जिस पर परिवादी उस पर सदविश्वास करते हुये अभियुक्त को भुगतान हेतु और समय दिया। इस प्रकार परिवादी व अभियुक्त द्वारा उक्त बकाया रूपयों के हिसाब करने पर अभियक्त ने मूल मय ब्याज सहित राशि 3,50,000/– रूपये का भुगतान करना था। जिसमें से अभियुक्त ने 3,00,000/– रूपयें की अदायगी हेतु अभियुक्त ने यूको बैंक शाखा डीडवाना के खाता संख्या 063501000007266 का चैक संख्या 000009 राशि 3,00,000/– रूपये का दिनांकित 29.02.2024 को निष्पादित कर अभियुक्त ने परिवादी को सुपुर्द कर दिया और शेष और बकाया रहे 50,000/– रूपयें का शीघ्र ही अदायगी का वचन दिया। अभियुक्त द्वारा जारी चैक से उक्त बकाया रूपयों के भुगतान प्राप्ति हेतु परिवादी ने अभियुक्त के कहेनुसार उक्त रूपयो के भुगतान प्राप्ति/संग्रह हेतु परिवादी ने अपने खाता संख्या 3545000102775018 पंजाब नेशनल बैंक शाखा, डीडवाना में दिनांक 08.03.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त को उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने का रिमार्क लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक 11.03.2024 को प्राप्त हुये। अभियुक्त द्वारा जारी चैक से भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने अभियुक्त से सम्पर्क करने पर अभियुक्त ने दो माह और रूक जाने का निवदेन किया और कहां की दो माह पश्चात उक्त जारी चैक के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा दूंगा जिससे आप अपनी बकाया राशि प्राप्त कर लेना जिसके पश्चात परिवादी ने फिर से अभियुक्त के कहेनुसार उक्त रूपयो के भुगतान प्राप्ति/संग्रह हेतु परिवादी ने अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना में दिनांक 15.05.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु पुनः प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त के उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में फिर से अपर्याप्त धनराशि होने का रिर्माक लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक 16.05.2024 को प्राप्त हुये। अभियुक्त के कहेनुसार अभियुक्त द्वारा जारी चैक

से पुनः भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने पुनः अभियुक्त के वापस सम्पर्क कर उक्त बकाया रूपयों की मांग करने पर अभियुक्त ने कहां की उक्त चैक वाले खाते में पर्याप्त धनराशि जमा करवा दी है का पूर्ण आश्वासन दिया जिस पर सदविश्वास कर परिवादी ने फिर से पुनः अभियुक्त के कहेनुसार उक्त बकाया रूपयों के भुगतान प्राप्ति/संग्रह हेतु परिवादी ने अपने खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा, डीडवाना में दिनांक 17.05.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त के उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में फिर भी अपर्याप्त धनराशि होने का रिर्माक लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक 20.05.2024 को प्राप्त हुये। इसके पश्चात भी परिवादी ने अभियुक्त सें उक्त बकाया रुपयों की कई बार मांग की, जिस पर अभियुक्त ने शीघ्र ही देने का आश्वासन देता रहा व बहाने बनाकर झांसा दिया। इस प्रकार अभियुक्त टालम टोल कर अनायाश ही समय व्यतित करता रहा जिससे अभियुक्त की नियत अनायास ही समय व्यतित कर उक्त रूपयों को हडप्प करने की है। इसके पश्चात परिवादी ने इस बाबत अधिवक्ता से सम्पर्क कर जरीये अधिवक्ता डाक के माध्यम से एक पंजीकृत विधिक नोटिस दिनांक 28.05.2024 को अभियुक्त को प्रेषित करवाया जो कि अभियुक्त को दिनांक 01.06.2024 को प्राप्त होने पर अभियुक्त ने परिवादी से सम्पर्क कर उक्त बकाया राशि की अदायगी दिनांक 30.06.2024 तक करने का वचन दिया तथा इस आशय की एक लिखित भी दिनांक 03.06.2024 को अभियुक्त स्वयं ने अपने हस्ताक्षरित सुदा परिवादी को सुपुर्द किया। जिसके बावजूद भी अभियुक्त ने आज तक उक्त बकाया रूपयों का भुगतान नहीं किया तथा नही उक्त नोटीस का कोई प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार अभियुक्त मौखिक आश्वासन बहाने बाजी से टालमटोल कर अनायास ही समय व्यतित कर अभियुक्त की नियत उक्त बकाया रूपयो को हडप्प करने की है। तत्पश्चात भी परिवादी ने उक्त बकाया रूपयो की अभियुक्त से कई बार मांग की। अभियुक्त ने धोखा देने की नियत से छल कपट कर परिवादी को चैक दिया जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त परिवाद पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मूलचन्द ठोलिया के विरूद्ध प्रसंज्ञान र्लिया गया तथा प्रकरण दज रजिस्टर किया गया।

(2) मुलजिम के उपस्थित आने पर उसको अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन. आई.एक्ट 1881 में आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो मुलजिम ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) परिवादी साक्ष्य के दौरान परिवादी ने मुख्य परीक्षण का अपना साक्ष्य

शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वयं को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित करवाया गया। परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श सी 1, चैक जमा रसीद प्रदर्श सी 2 लगायत 4, रिटर्न मीमो प्रदर्श सी 3 लगायत 7, विधिक नोटिस प्रदर्श सी 8, डाक रसीद प्रदर्श सी9, नोटिस प्राप्ति रसीद प्रदर्श सी10, ट्रेक कन्साईमेंट प्रदर्श सी 11, प्रोमेसरी नोट प्रदर्श सी 12, लिखित रसीद प्रदर्श सी 13, परिवादी के बैंक खाते की पासबुक मूल प्रदर्श सी 14, आधार कार्ड मूल प्रदर्श सी 15 को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य कोई गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई।

परिवादी की ओर से आरोप प्रमाणित कराए जाने के क्रम में निम्न दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया –

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	गवाह संख्या जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया
प्रदर्श सी 1	असल चैक	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 2 लगायत 4	चैक जमा रसीद	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 5 लगायत 7	रिटर्न मीमो	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 8	विधिक नोटिस	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 9	पंजीकृत डाक रसीद	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 10	नोटिस प्राप्ति रसीद	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 11	ट्रेक कन्साइमेंट	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 12	प्रोमिसरी नोट	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 13	लिखित रसीद	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 14	मूल पासबुक	पी.डब्ल्यू.1
प्रदर्श सी 15	मूल आधार कार्ड	पी.डब्ल्यू.1

(4) अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किये जाने पर अभियुक्त ने परिवादी के साक्षी के कथनों को गलत होना बताया एवं कथन किया कि उसने परिवादी लादूराम को 2019 में तीन चैक दिये थे, उसने लादूराम के पैसों का पूरा हिसाब कर दिया था तथा उक्त चैक लादूराम ने उससे रूपये एठने के लिए लगाया है। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने बाबत् कथन किये व प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना जाहिर किया। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं

करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

(5) बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. **क्या अभियुक्त ने परिवादी के प्रति अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे प्रकरण में प्रश्नगत चैक संख्या 000009 दिनांक 29.02.2024 तादादी 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख हजार रूपये का जारी किया। उक्त चैक वैधता अवधि के दौरान् समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा दिनांक 20.05.2024, 16.05.2024 तथा 11.03.2024 को ''Funds Insufficient'' के रिमार्क के साथ अनादरित कर दिया है, जिस चैक अनादरित की सूचना देने व चैक की राशि की मांग करने का विधिक सूचना पत्र दिनांक 28.05.2024 को प्रेषित किया गया, जिसका ज्ञान अभियुक्त को को हो गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर चैक राशि अदा नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर दिनांक 03.07.2024 को परिवाद न्यायालय में पेश किया गया ?**
2. **यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा ?**

(6) उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथित किया कि अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुल्जिम अथवा विचारण के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि चैक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हो व ना ही इस संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई बचाव साक्ष्य पेश की गयी है, जिससे भी अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में सृजित हुयी उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है। वहीं परिवादी ने अपनी साक्ष्य के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम की विषिष्टियां पूर्ण की है। जिरह के दौरान भी परिवादी ने अपने सम्पूर्ण परिवाद की ताईद करते हुए कथन किये हैं। परिवादग्रगस्त चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं होने के संबंध में अभियुक्त ने कोई कथन नही किया है। अभियुक्त, परिवादी के पक्ष में उत्पन्न हुई धारा 139 व 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे। परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया है। जिसका खण्डन किसी प्रकार से साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया है इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे और चैक की दुगुनी राशि दिलवाई जावे।

(7) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग कर अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया है। परिवादी अपने साक्ष्य के दौरान अपने परिवाद की ताईद करने में असफल रहा है। अभियुक्त ने परिवादी से उधार ली गई राशि उसको लौटा दी थी किंतु परिवादी ने सिक्योरिटी पेटे दिए गए चैक अभियुक्त को पुनः नहीं लौटकर उसका दुरूपयोग किया है। स्वयं परिवादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। परिवादी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

(8) सुना गया, तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उभयपक्षों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखें तो परिवादी पी.डब्ल्यू.1 लादूराम ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि परिवादी का ननिहाल ग्राम दौलतपुरा में होने व उक्त ननिहाल के पास ही अभियुक्त मूलचन्द के निवास करने से आपस में कई बार मिलने से आपस में सुपरिचित होने से अभियुक्त ने अपने लड़के की शादी के लिए रूपयों की आवश्यकता बताकर परिवादी से दिनांक 29.12.2019 को 2,00,000/– रूपये नगद उधार लिये जिसका एक रूपयें पच्चास पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह से ब्याज मय मूल राशि बारह माह के भीतर ही अदा करने का वचन दिया एवं इस आशय का अभियुक्त स्वयं ने एक प्रोमेसरी नोट भी दिनांक 29.12.2019 को परिवादी के पक्ष में निष्पादित कर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षरित सुदा परिवादी को सुपुर्द किया। उक्त बकाया रूपये मय ब्याज के बाहर माह व्यतित होने के बाद मांग करने पर अभियुक्त ने व्यवसाय/धन्धा मंदा होने से विवशता जाहिर कर शीघ्र ही अदायगी का वचन दिया, फिर परिवादी द्वारा दिये गये मौखिक आश्वासन पर विश्वास करता रहा तथा अभियुक्त ने अनेको मजबुरियां बताकर आगे से आगे उक्त बकाया रूपयों के अदा करने हेतु समय मांगता रहा जिस पर परिवादी उस पर सदविश्वास करते हुये अभियुक्त को भुगतान हेतु और समय दिया। इस प्रकार परिवादी व अभियुक्त द्वारा उक्त बकाया रूपयों के हिसाब करने पर अभियक्त ने मूल मय ब्याज सहित राशि 3,50,000/– रूपये का भुगतान करना था। जिसमें से अभियुक्त ने 3,00,000/–रूपयें की अदायगी हेतु अभियुक्त ने यूको बैंक शाखा डीडवाना

के खाता संख्या 063501000007266 का चैक संख्या 000009 राशि 3,00,000/– रूपये का दिनांकित 29.02.2024 को निष्पादित कर अभियुक्त ने परिवादी को सुपुर्द कर दिया और शेष और बकाया रहे 50,000/– रूपयें का शीघ्र ही अदायगी का वचन दिया। अभियुक्त द्वारा जारी चैक से उक्त बकाया रूपयों के भुगतान प्राप्ति हेतु परिवादी ने अभियुक्त के कहेनुसार उक्त रूपयो के भुगतान प्राप्ति/संग्रह हेतु परिवादी ने अपने खाता संख्या 3545000102775018 पंजाब नेशनल बैंक शाखा, डीडवाना में दिनांक 08.03.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त को उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने का रिमार्क लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक 11.03.2024 को प्राप्त हुये। अभियुक्त द्वारा जारी चैक से भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने अभियुक्त से सम्पर्क करने पर अभियुक्त ने दो माह और रूक जाने का निवदेन किया और कहां की दो माह पश्चात उक्त जारी चैक के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा दूंगा जिससे आप अपनी बकाया राशि प्राप्त कर लेना जिसके पश्चात परिवादी ने फिर से अभियुक्त के कहेनुसार उक्त रूपयो के भुगतान प्राप्ति/संग्रह हेतु परिवादी ने अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना में दिनांक 15.05.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु पुनः प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त के उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में फिर से अपर्याप्त धनराशि होने का रिर्माक लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक 16.05.2024 को प्राप्त हुये। अभियुक्त के कहेनुसार अभियुक्त द्वारा जारी चैक से पुनः भुगतान प्राप्त नहीं होने पर परिवादी ने पुनः अभियुक्त के वापस सम्पर्क कर उक्त बकाया रूपयों की मांग करने पर अभियुक्त ने कहां की उक्त चैक वाले खाते में पर्याप्त धनराशि जमा करवा दी है का पूर्ण आश्वासन दिया जिस पर सदविश्वास कर परिवादी ने फिर से पुनः अभियुक्त के कहेनुसार उक्त बकाया रूपयों के भुगतान प्राप्ति/ संग्रह हेतु परिवादी ने अपने खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा, डीडवाना में दिनांक 17.05.2024 को उक्त चैक संग्रह हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त शाखा ने अभियुक्त के उक्त खाते से भुगतान प्राप्ति हेतु प्रेषित किया। जिस पर अभियुक्त की उक्त शाखा ने अभियुक्त के खाते में फिर भी अपर्याप्त धनराशि होने का रिर्माक लगा होने का प्रपत्र परिवादी को बैंक से उक्त चैक मय रिटर्न मेमो प्रपत्र सम्बन्धित दस्तावेज सहित दिनांक

20.05.2024 को प्राप्त हुये। इसके पश्चात भी परिवादी ने अभियुक्त सें उक्त बकाया रुपयों की कई बार मांग की, जिस पर अभियुक्त ने शीघ्र ही देने का आश्वासन देता रहा व बहाने बनाकर झांसा दिया। इस प्रकार अभियुक्त टालम टोल कर अनायाश ही समय व्यतित करता रहा जिससे अभियुक्त की नियत अनायास ही समय व्यतित कर उक्त रूपयों को हडप करने की है। इसके पश्चात परिवादी ने इस बाबत अधिवक्ता से सम्पर्क कर जरीये अधिवक्ता डाक के माध्यम से एक पंजीकृत विधिक नोटिस दिनांक 28.05.2024 को अभियुक्त को प्रेषित करवाया जो कि अभियुक्त को दिनांक 01.06.2024 को प्राप्त होने पर अभियुक्त ने परिवादी से सम्पर्क कर उक्त बकाया राशि की अदायगी दिनांक 30.06.2024 तक करने का वचन दिया तथा इस आशय की एक लिखित भी दिनांक 03.06.2024 को अभियुक्त स्वयं ने अपने हस्ताक्षरित सुदा परिवादी को सुपुर्द किया। जिसके बावजूद भी अभियुक्त ने आज तक उक्त बकाया रूपयों का भुगतान नहीं किया तथा नही उक्त नोटीस का कोई प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार अभियुक्त मौखिक आश्वासन बहाने बाजी से टालमटोल कर अनायास ही समय व्यतित कर अभियुक्त की नियत उक्त बकाया रूपयो को हडप्प करने की है। तत्पश्चात भी परिवादी ने उक्त बकाया रूपयो की अभियुक्त से कई बार मांग की। अभियुक्त ने धोखा देने की नियत से छल कपट कर परिवादी को चैक दिया जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श सी 1, चैक जमा रसीद प्रदर्श सी 2 लगायत 4, रिटर्न मीमो प्रदर्श सी3 लगायत 7, विधिक नोटिस प्रदर्श सी 8, डाक रसीद प्रदर्श सी9, नोटिस प्राप्ति रसीद प्रदर्श सी10, ट्रेक कन्साईमेंट प्रदर्श सी 11, प्रोमेसरी नोट प्रदर्श सी 12, लिखित रसीद प्रदर्श सी 13, परिवादी के बैंक खाते की पासबुक मूल प्रदर्श सी 14, आधार कार्ड मूल प्रदर्श सी 15 को प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य सफाई में अभियुक्त ने स्वयं को परीक्षित नहीं करवाया।

(9) उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यदि सर्वप्रथम विधि का अवलोकन किया जाए तो **धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम** के तहत– ''जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिये अपने उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को धन का संदाय करने के लिये बैंकर में खाते पर जो उसके द्वारा अनुरक्षित है, उसके द्वारा लिखा गया चैक चाहे इस कारण से उस जमा खाते में चैक का आदर करने के लिये पर्याप्त निधि नहीं है अथवा यह इस कारण से कि बैंक के साथ व्यवस्था के किये गये

करार के द्वारा उस खाते में से संदाय किये जाने के लिये किये गये प्रबन्ध का चैक उल्लंघन करती, बैंक द्वारा असंदत्त लौटा दिया जाता है तो ऐसा समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है और अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह (एक अवधि के लिये जो कि दो वर्ष की हो सकती है) कारावास की सजा से दण्डित होगा अथवा अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो चैक की रकम से दुगुनी, रकम हो सकती है, अथवा दोनों से दण्डित होगाः बशर्तें यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा यदिः–

(क) चैक जिस तारीख को लिखा गयी थी उस तारीख से तीन महिने के अन्दर अथवा इसकी विधि मान्य अवधि, जो भी पहले हो, के अन्दर बैंक में प्रस्तुत न कर दी गयी हो।

(ख) चैक को पाने वाला या सम्यक अनुक्रम में धारक जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा चैक के असंदत्त वापसी की सूचना की प्राप्ति के बाद(तीस दिनों के अन्दर) उसने चैक के लेखीवाल को एक लिखित नोटिस देकर कथित धन राशि क संदाय के लिये मांग नहीं करता।

(ग) ऐसी चैक का लेखीवाल कथित नोटिस प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भीतर कथित धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में संदाय केरने में असफल नहीं हो जाता।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के उद्देश्यों के लिये ”ऋण अथवा अन्य दायित्व“ का अर्थ कानूनी तौर पर लागू करने योग्य ऋण अथवा अन्य दायित्व हैं।‘‘

(10) उपरोक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना हैः–

1. **क्या खाताधारक (अभियुक्त) द्वारा किसी विधिक ऋण या दायित्व के निर्वाह हेतु अपने खाते का चैक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया?**

2. **क्या चैक के अधीन राशि पाने वाला या सामान्य अनुक्रम में धारक (परिवादी) द्वारा चैक को विधिमान्य अवधि में बैंक में प्रस्तुत किया गया?**

3. **क्या प्रश्नगत चैक का अपर्याप्त राशि या अन्य समवर्ती कारणों से अनादरण हुआ?**

4. **क्या चैक अनादरण के संबंध में परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समय अवधि में धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान में वर्णित नोटिस दिया**

गया?

5. **क्या चैक का लेखीवाल (अभियुक्त) नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चैक राशि का संदाय करने में असफल रहा?**

उपरोक्त बिंदुओं पर न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार हैः

01. **क्या खाताधारक (अभियुक्त) द्वारा किसी विधिक ऋण या दायित्व के निर्वाह हेतु अपने खाते का चैक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया?**

इस संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो यह प्रकट होता है कि चैक प्रदर्श सी 1 पर हस्ताक्षर मूलचन्द ठोलिया नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है। उक्त परिवादग्रस्त चैक अभियुक्त के खाते का न हो इस संबंध में अभियुक्त ने दौराने विचारण कोई कथन नहीं किए है। प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं होने के संबंध में भी अभियुक्त द्वारा संपूर्ण विचारण के दौरान कोई कथन नहीं किए गए है। जिरह के दौरान भी परिवादी गवाह को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श सी 1 उसके खाते के नहीं हो तथा उन पर ए से बी हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हो। ऐसे में यह माना जा सकता है कि प्रश्नगत चैक प्रदर्श सी 01 अभियुक्त के खाते का ही है तथा उस पर हस्ताक्षर भी अभियुक्त द्वारा ही किए गए है। विधिक ऋण या दायित्व के निर्वाह हेतु चैक दिया गया था, इस बिंदू के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा निम्न दो बिंदुओं पर विवेचन किया जाना आवश्यक हैः

(अ) **क्या अभियुक्त द्वारा विवादग्रस्त चैक किसी विधिक दायित्व अथवा ऋण की अदायगी पेटे दिया गया था तथा क्या परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का सृजन हुआ है ?**

इस बिंदू के संबंध में यदि विधिक दायित्व या ऋण की अदायगी के संबंध में विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **रंगप्पा बनाम श्रीमोहन** AIR 2010 SC 1098 में यह प्रतिपादित किया गया है कि–

''जब तक तत्प्रतिकुल साबित न हो, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 एन.आई.एक्ट में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या

अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।''

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **हितेन पी दलाल बनाम यतिन्द्रनाथ बैनर्जी AIR 2001 SC 3897**, में यह प्रतिपादित किया गया है कि– ''यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि चैक को किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी नहीं किया गया था।'' उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई विधिक स्थिति के अनुसार धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के प्रकरणों में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि प्रकरण में प्रश्नगत चैक किसी विधिक ऋण या दायित्व के पेटे नहीं दिया गया हो। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 में चैक धारक के पक्ष में यह विधि है कि न्यायालय को यह उपधारणा करनी आवश्यक है कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए चैक प्राप्त किया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **के. भास्कर बनाम शंकरन विद्याबालन व अन्य 1999 (7) NCC 510,** में उपधारणा के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि– ''जब चैक पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार कर लिया जाता है तब धारा 118 एन.आई.एक्ट में वर्णित उपधारणा आकृषित होगी कि चैक पर जो तारीख वर्णित है, वह चैक प्रतिफलार्थ लिखा गया था तथा धारा 139 न्यायालय पर यह भार डालती है कि वह उपधारणा करें कि चैक धारक ने ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किया था। यद्यपि उक्त सभी उपधारणा खंडनीय प्रकृति की है। उपधारणा खंडित करने का भार अभियुक्त पर है।''

उपरोक्त प्रावधान तथा न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में पत्रावली का यदि पुनः अवलोकन किया जाए तो अभियुक्त द्वारा अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण के दौरान परिवादी साक्ष्य को गलत बताया गया है तथा यह कथन किया गया है कि उसने परिवादी लादूराम को 2019 में तीन चैक दिये थे, उसने लादूराम के पैसों का पूरा हिसाब कर दिया था तथा उक्त चैक लादूराम ने उससे रूपये एठने के लिए लगाया है। परिवादी ने झुठा मुकदमा किया है। चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के होने या नहीं होने के संबंध में संपूर्ण विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। अतः चूंकि अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक पर अपने हस्ताक्षर के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है, जहां तक बयान मुल्जिम के दौरान अभियुक्त द्वारा किया गया

कथन कि उसने परिवादी को 2019 में तीन चैक दिये थे एवं लादूराम के पैसों का पूरा हिसाब कर दिया था, यदि अभियुक्त के उक्त कथन पर विश्वास किया जावे तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा परिवादी को राशि अदा किये जाने पश्चात अपने चैक वापस प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाता, परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा इस संबंध में चैक वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास अथवा विधिक कार्यवाही की गयी हो तो ऐसा भी कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे भी अभियुक्त का उक्त तर्क विश्वास किये जाने योग्य नहीं है, इसलिए न्यायिक दृष्टान्त **के. भाष्कर बनाम शंकरन विद्याबालन व अन्य** (Supra) **1999 (7) NCC 510,** में उपधारणा के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 118 व 139 एन.आई.एक्ट की उपधारणा का सृजन परिवादी के पक्ष में हुआ है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादग्रस्त चैक प्रदर्श सी 1 किसी विधिक ऋण अथवा दायित्व की अदायगी पेटे दिया गया था।

(ब) अब न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध की गई उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है ?

इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **हितेन पी दलाल बनाम भ्रतिंद्रनाथ बैनर्जी 2001 Cr.LJ (SC) 4647,** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

''उपधारणाओं को खण्डित करने के लिए मात्र मुल्जिम का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है अपितु स्पष्टीकरण का साबित होना आवश्यक है। सुस्थापित विधि अनुसार अपने उपर अधिरोपित उक्त भार को या तो स्वयं सकारात्मक साक्ष्य पेश कर अन्तरित कर सकता है अथवा परिवादी द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर ही अपने उपर अधिरोपित सूबत के भार को अन्तरित कर सकता है। ऐसी दशा में उसे अपने बचाव सम्भावनाओं की अधि–संभाव्यता के स्तर पर साबित करना होता है न कि संदेह से परे साबित करना होता है।''

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण **रंगप्पा बनाम श्रीमोहन AIR 2010 (SC) 1098,** में धारा 139 एन आई एक्ट के तहत अभियुक्त पर उपधारणा के द्वारा अंतरित भार के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"Section 139 of the Act is an example of a reverse onus clause

that has been included in furtherance of the legislative objective of improving the credibility of negotiable instruments. While Section 138 of the Act specifies a strong criminal remedy in relation to the dishonour of cheques, the rebuttable presumption under Section 139 is a device to prevent undue delay in the course of litigation. However, it must be remembered that the offence made punishable by Section 138 can be better described as a regulatory offence since the bouncing of a cheque is largely in the nature of a civil wrong whose impact is usually confined to the private parties involved in commercial transactions. In such a scenario, the test of proportionality should guide the construction and interpretation of reverse onus clauses and the accused/defendant cannot be expected to discharge an unduly high standard or proof. In the absence of compelling justifications, reverse onus clauses usually impose an evidentiary burden and not a persuasive burden. Keeping this in view, it is a settled position that when an accused has to rebut the presumption under Section 139, the standard of proof for doing so is that of preponderance of probabilities'. Therefore, if the accused is able to raise a probable defence which creates doubts about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution can fail. As clarified in the citations, the accused can rely on the materials submitted by the complainant in order to raise such a defence and it is conceivable that in some cases the accused may not need to adduce evidence of his/her own. "

साथ ही उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी बताया गया है किः ''धारा 139 एन.आई.एक्ट में चैक धारक के पक्ष में उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर है एवं अभियुक्त उपधारणा को खंडन करने हेतु ''संभावना बाहुल्यता'' के द्वारा प्रमाणित कर सकता है। इसलिए यदि अभियुक्त ''संभाव्य प्रतिरक्षा'' उत्पन्न करते हुए विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दे तो वहां अभियोजन असफल होगा।''

उपरोक्त सिद्धांतों की रोशनी में यदि सर्वप्रथम परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 01 लादूराम की जिरह का अवलोकन किया जाए तो यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गई जिरह में इस आशय का कोई प्रश्न या सुझाव परिवादी को नहीं दिया गया है जिससे यह प्रकट हो कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते का नहीं है। अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर उसके नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध रसीद प्रदर्श सी 13 दस्तावेज का अवलोकन करे तो उक्त दस्तावेज पर अभियुक्त एवं परिवादी के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त दस्तावेज के खंडन हेतु अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है। प्रदर्श सी 13 में स्वयं अभियुक्त द्वारा परिवादी को तीन लाख रूपये का चैक दिनांक 29.02.2024 को निष्पादित कर परिवादी को सुपुर्द किये जाने का उल्लेख आया हुआ है। इसके अतिरिक्त चैक में उल्लेखित राशि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अदा कर दी गयी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में पेश नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव संभाव्य बचाव **(Probable Defence)** की श्रेणी में नहीं आता है जिससे अभियुक्त परिवादी के पक्ष में उत्पन्न उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा विधिक ऋण के निर्वाह हेतु अपने खाते का चैक परिवादी के पक्ष में जारी किया गया है।

02. क्या चैक के अधीन राशि पाने वाला या सामान्य अनुक्रम में धारक(परिवादी) द्वारा चैक को विधिमान्य अवधि में बैंक में प्रस्तुत किया गया?

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत चैक दिनांक 29.02.2024 को लिखा गया था जिसे परिवादी द्वारा अपनी बैंक में प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के बैंक द्वारा ''Funds Insufficient'' के रिमार्क के साथ अंतिम बार दिनांक 20.05.2024 को अनादरित हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत चैक विहित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया।

03. क्या प्रश्नगत चैक का अपर्याप्त राशि या अन्य समवर्ती कारणों से अनादरण हुआ?

इस संबंध में चैक रिटर्न मीमो प्रदर्श सी 05 लगायत 07 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि चैक का अनादरण प्रत्येक बार ''Funds Insufficient'' के आधार पर हुआ है। धारा 146 पराक्रम्य लिखत अधिनियम

के तहत दिनांक 20.05.2024 को अंतिम बार अनादरित चैक का रिर्टन मीमो प्रदर्श सी 05 पर बैंक का प्राधिकृत चिह्न है।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक **दृष्टांत वंदना अखिलेष पांडे बनाम अभिलाषा 2019(2) MHLJ 645, 2018 SCC Online Bom 2086** , में इस बिंदू के संबंध में यह बताया गया है कि–

"Section 146 of the said Act provides that if the complainant places on record a slip or memo issued by the bank having official mark of the bank thereon, denoting that the cheque was dishonoured, it would be presumed that such cheque was dishonoured until such fact was disproved. Thus, if such a document was placed on record by the appellant in the present case, it would constitute prima facie evidence of dishonour of cheque and burden would have been entirely on the respondent to disprove such a fact. But, when the memo produced in the present case by the appellant did not bear official mark of the bank, there was no document as contemplated under Section 146 of the said Act to presume that the fact of dishonour of cheque had been proved by the appellant. The burden continued to lie on the appellant to prove the basic fact of dishonour of cheque, in the facts and circumstances of the present case. The appellant could have placed on record a certificate contemplated under Section 65-B of the Indian Evidence Act, 1872, in respect of the memo of the Bank, which was allegedly a computer generated electronic record. But, no such evidence was placed on record. "

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों व धारा 146 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान की रोशनी में यह स्पष्ट है कि धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत अनादरण का बिंदू साबित करने हेतु चैक अनादरण मिमो पर संबंधित बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर व बैंक सील होना

आवश्यक है। इस संबंध में यदि रिटर्न मिमो प्रदर्श सी 05 का अवलोकन किया जाए तो उक्त रिटर्न मिमो पर बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व सील अंकित है प्रदर्श सी 05 ''Funds Insufficient'' के कारण अनादरण के रिटर्न मिमो नहीं हो इस तथ्य के विरूद्ध अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह प्रमाणित है कि चैक का अनादरण ''Funds Insufficient'' के कारण हुआ।

04. क्या चैक अनादरण के संबंध में परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समय अवधि में धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान में वर्णित नोटिस दिया गया?

धारा 138(बी) पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक अनादरण होने पर चैक अनादरित होकर लौटने की तिथि से तीस दिवस के अंदर चैक के लेखीवाल को शोध्य राशि का संदाय करने के आशय की लिखित सूचना या नोटिस देना आवश्यक है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अनादरित हुए चैक के संबंध में नोटिस प्रदर्श सी 08 दिनांक 28.05.2024 को परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिया गया जिस संबंध में डाक रसीद प्रदर्श सी 09 तथा पावती रसीद प्रदर्श सी 10 पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः यह स्पष्ट है कि चैक अनादरण के संबंध में परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित समय अवधि में धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान में वर्णित नोटिस दिया गया था।

05. क्या चैक का लेखीवाल (अभियुक्त) नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चैक राशि का संदाय करने में असफल रहा?

इस संबंध में यदि नोटिस का अवलोकन किया जाए तो नोटिस पर अंकित अभियुक्त का पता, परिवाद व स्वयं अभियुक्त द्वारा पेश मुचलके में वर्णित पते तथा अभियुक्त द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण के दौरान बताए गए पते से मेल खाता है, जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त पता अभियुक्त का सही पता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध रसीद प्रदर्श सी 13 में भी अभियुक्त स्वयं द्वारा पंजीकृत डाक से दिनांक 28.05.2024 को प्रेषित नोटिस दिनांक 01.06.2024 को प्राप्त होना स्वीकार किया है। साथ ही उक्त दस्तावेज प्रदर्श सी 13 का खंडन भी किसी प्रकार से अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि चैक का लेखीवाल (अभियुक्त) नोटिस प्राप्ति के

15 दिवस के भीतर चैक राशि का संदाय करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचनीय बिंदु अभियुक्त के विरुद्ध पाए गए है।

अभियुक्त अपने विरुद्ध की गई उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है।

अभियुक्त द्वारा संभाव्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं होने से अभियुक्त **मूलचन्द ठोलिया पुत्र सुरजाराम ठोलिया** के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

(11) अतः अभियुक्त **मूलचन्द ठोलिया पुत्र सुरजाराम ठोलिया,** आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम ठोलियों की ढाणी किसान नगर ग्राम दौलतपुरा, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(मनोज जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

–: सजा के बिन्दु पर :–

(12) सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान कथन किया कि अभियुक्त काफी समय से अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानो का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। परिवादी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। इसलिये अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास और चैक राशि के दुगनी राशि के अर्थदण्ड तथा फरियादी को पूरा अर्थदण्ड प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

(13) उभय पक्षों की बात सुनी गई। हस्तगत प्रकरण आर्थिक क्षेत्र से संबंधित गंभीर

अपराध की श्रेणी में आता है। यदि अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाता है तो इस अधिनियम के उद्देश्य विफल होंगे। इसलिये अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **आर विजयन बनाम बेबी AIR 2012 SC 528,** में जुर्माना व प्रतिकर के संबंध में यह प्रतिपादित किया गया है–"As the provisions of Chapter XVII of the Act strongly lean towards grant of reimbursement of the loss by way of compensation, the courts should, unless there are special circumstances, in all cases of conviction, uniformly exercise the power to levy fine upto twice the cheque amount (keeping in view the cheque amount and the simple interest thereon at 9% per annum as the reasonable quantum of loss) and direct payment of such amount as compensation. Direction to pay compensation by way of restitution in regard to the loss on account of dishonour of the cheque should be practical and realistic, which would mean not only the payment of the cheque amount but interest thereon at a reasonable rate. Uniformity and consistency in deciding similar cases by different courts, not only increase the credibility of cheque as a negotiable instrument, but also the credibility of courts of justice."
अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए व प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–

–: दण्डादेश :–

(14) अतः अभियुक्त **मूलचन्द ठोलिया पुत्र सुरजाराम ठोलिया,** आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम ठोलियों की ढाणी किसान नगर ग्राम दौलतपुरा, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्ध पाए जाने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है तथा धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त, परिवादी लादूराम जाट पुत्र धन्नाराम, आयु 59 वर्ष, निवासी ग्राम डिकावा, तहसील डीडवाना, जिला

डीडवाना–कुचामन, राजस्थान को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल चैक राशि 3,00,000/– रूपये के साथ परिवाद प्रस्तुति की दिनांक 03.07.2024 से आदेश की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज 57,075/– कुल 3,57,075/– अक्षरे तीन लाख सतावन हजार पिचेतर रूपये अदा करेगा। क्षतिपूर्ति की यह राशि बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन अपील/रिवीजन न होने की स्थिति में परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा की जायेगी। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(15) अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित रहने हेतु धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिए 20,000/– रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करें।

(16) नियमानुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में मुजरा किया जाये। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

(मनोज जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

(17) निर्णय आज दिनांक **14 अगस्त 2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज जीनगर)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।